सत्यमेव जयते
भारत सरकार/Government of India
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
नौवहन महानिदेशालय/ Directorate General of Shipping
नाविक रोजगार कार्यालय/SEAMEN'S EMPLOYMENT OFFICE
"मरीन हाऊस", हेस्टिंग्स/"Marine House", Hastings,
कोलकाता/Kolkata- 700 022

टेलीफोन: (033) 2202 1818
ई-मेल: seo.kol-ship@gov.in
वेबसाईट: www.dgshipping.gov.in

Telephone: (033) 2202 1818
E-mail: seo.kol-ship@gov.in
website: www.dgshipping.gov.in

सं./No.: -एसईओ-11/2/2024-एसईओ-कोलकाता **दिनांक/Date: 22.05.2026**

आदेश

जबकि मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड को मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के तहत निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता द्वारा 22.03.2024 से 22.03.2029 तक की अवधि के लिए आरपीएस लाइसेंस सं. आरपीएसएल-केओएल-162226 जारी किया गया है ।

2. जबकि, मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड, आरपीएसएल-केओएल-162226, एमएस (आरपीएस) नियम, 2016 के नीचे दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा है:-

क. एमएस (आरपीएस) नियम, 2016 के उप-नियम 5 के खंड 1 के उप-खंड (जेड) के अनुसार, **उद्धृतः-** "सुनिश्चित करें कि वह अपने वार्षिक निरीक्षण के लिए निदेशक को उसकी नियत तिथि से तीन महीने पहले अनुस्मारक भेजे और उसके लिए तैयार रहे।" **अनुद्धृतः-**

ख. डीजीएस क्रू शाखा के परिपत्र सं. 03/2016 के पैरा 1.8 के प्रावधान के अनुसार, जिसे एमएस नोटिस 06/2018 के रूप में पढ़ा जाए, **उद्धृतः-** "वार्षिक निरीक्षण प्रत्येक वर्ष, ऐसे लाइसेंस जारी होने की वर्षगांठ तिथि के दो महीने बाद शुरू होने वाली अवधि के दौरान पूरा किया जाएगा ।" **अनुद्धृतः-**

3. और जबकि, इस कार्यालय को निरीक्षण के बाद आरपीएस एजेंसी की देय पहली और दूसरी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट मान्यता प्राप्त संगठन के माध्यम से न तो प्राप्त हुई है और न ही इसके लिए आरपीएस एजेंसी से कोई सूचना प्राप्त हुई है ।

4. और, जबकि, जाँच करने पर यह पाया गया कि आरपीएसएल प्रोफ़ाइल विवरण आरपीएस एजेंसी द्वारा अद्यतित नहीं किए गए हैं ।

5. और जबकि, ईमेल से अनुस्मारक प्रेषित करने के बाद भी, आज तक न तो डायरेक्टर बदला गया है और न ही प्रबंधन कार्मिकों के विवरण के बारे में प्रपत्र VI को अद्यतित किया गया है ।

6. और जबकि, इस कार्यालय ने दिनांक 18.12.2025 को पत्र सं.- एसईओ-11/2/2024-एसईओ-कोलकाता के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था और दिनांक 18.01.2026 के ईमेल का आरपीएस एजेंसी का जवाब संतोषजनक नहीं है । अतः इस मामले में दिनांक 11.02.2026 को नाविक रोजगार कार्यालय, मरीन हाउस, हेस्टिंग्स, कोलकाता-22 में एक व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गई ।

7. और जबकि, आरपीएस एजेंसी, मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड, दिनांक 11.02.2026 को तय सुनवाई में शामिल नहीं हुई । इसके एवज़ में, उन्होंने दिनांक 11.02.2026 के ई-मेल के माध्यम से सुनवाई पुनःनिर्धारित करने के लिए अनुरोध किया । उनके अनुरोध के आधार पर, व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 17.03.2026 के लिए पुनःनिर्धारित की गई । इस अवसर के बावजूद, एजेंसी पुनःनिर्धारित सुनवाई में फिर से शामिल होने में विफल रही । अतः, आरपीएस एजेंसी बार-बार एमएस(आरपीएस) नियम 2016 के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही है ।

8. और जबकि, त्वरित प्रतिक्रिया समूह में समर्थन डीजीएस के माध्यम से श्री वैभव, सीडीसी संख्या- एमयूएम 571859, पद- ओएस, एमवी फरवर पर नियुक्त से संबंधित वेतन और प्रत्यावर्तन के गैर-निपटान के लिए एक शिकायत नाविक की बहन द्वारा इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें यह कहा गया है कि पोत वर्तमान में ईरान क्षेत्र में परिचालन में है और पोत पर चालक दल की सुरक्षा की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है । जाँच करने पर, यह पाया गया कि जहाज आरपीएस के प्रबंधन के अधीन नहीं है और नाविक को एमवी अब्दुल के साथ अद्यतित कर दिया गया है जो कि नौवहन महानिदेशालय के मौजूदा निर्देशों का उल्लंघन है । इस कार्यालय और नाविक के परिवार के सदस्य के कई बार पता करने के बाद भी यह मामला आज तक सुलझा नहीं है ।

9. और जबकि, इस कार्यालय ने आरपीएस एजेंसी से बात करने की कोशिश की थी, परंतु प्रोफ़ाइल से प्राप्त निदेशक का मोबाइल नंबर (8537838232) बंद है । पुनः पता करने पर, श्री फ़िरोज़ का एक नया मोबाइल नंबर अद्यतित मिला, जिन्होंने टेलीफ़ोन पर बताया कि वह सिर्फ़ ईमेल से बातचीत के लिए अंशकालिक कर्मचारी हैं और प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं जानते । मौजूदा प्रबंधन न तो आरपीएस प्रोफ़ाइल में अद्यतित हैं और न ही अनुस्मारक के बाद भी इस कार्याल में प्रस्तुत किए गए हैं ।

10. और जबकि, डीजीएस की त्वरित प्रतिक्रिया समूह के व्हाट्सएप ग्रुप में श्री वैभव की बहन से पता चला है कि आरपीएस एजेंसी के कुछ एजेंट या उससे संबंधित लोगों ने नाविक से कहा है कि वह आरपीएस एजेंसी को आगे भेजने के लिए मास्टर/मालिक के ज़रिए जहाज़ के ज़रूरी दस्तावेज़ प्रदान करें । अर्थात आरपीएस मालिक/नियोक्ता से जुड़ा हुआ नहीं है ।

11. और जबकि, मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 20.03.2026 को एसईओ, कोलकाता के पत्र संख्या- एसईओ-11/2/2024-एसईओ-कोलकाता के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। परंतु, इस संबंध में आरपीएस एजेंसी से आज तक कोई जवाब नहीं मिला है ।

पृष्ठ 2 पर जारी...

12. और जबकि, दिनांक 22.04.2026 को मामले के संबंध में नाविक रोजगार कार्यालय, मरीन हाउस, हेस्टिंग्स, कोलकाता-22 में व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गई थी । जिसमें आरपीएस एजेंसी शामिल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने दिनांक 21.04.2026 को ईमेल से जवाब दिया कि वे तय सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि पोत से जुड़ी संचालन समस्याओं के कारण आवश्यक दस्तावेज़ अभी भी एकत्रित किए जा रहे हैं । वे क्रू को वापस लाने का इंतज़ाम कर रहे हैं और यह पूरा होने पर अपना आरपीएसएल लाइसेंस समर्पित कर देंगे ।

13. और जबकि, अन्य नाविकों को अनैतिक व्यावसायिक आचरण से बचाने और मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण इस आरपीएस का ऑनलाइन विशेषाधिकार प्रभावी दिनांक 14.04.2026 से ब्लॉक कर दिया गया है ।

14. आरपीएसएल ऑनलाइन प्रोफ़ाइल से यह भी पता चला है कि प्रत्येत अनुभाग यथोचित तौर पर अद्यतित नहीं है, जो कि नौवहन महानिदेशालय के दिनांक 13.01.2023 के परिपत्र सं. 03/2023 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है ।

15. और जबकि, ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली ने 02 नाविकों द्वारा दिए गए आरपीएस के नकली दस्तावेज़ों की रिपोर्ट की है, जिन्हें आरपीएस ने जारी करने से मना कर दिया है । परंतु, इस मामले में पुलिस प्राधिकरण के पास एफ़आईआर दर्ज करने का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है ।

16. और जबकि, यह पाया गया है कि आरपीएस एजेंसी ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड एमएस (आरपीएस) नियम 2016, जैसा कि संशोधित है, के 5(बी), 5(ई), 5(एफ), 5(एम), 5(एन), 5(यू), 5(वी), 5(जेड), 9(2), और प्रपत्र V की घोषणा, का उल्लंघन कर रही है ।

17. उपर्युक्त के मद्देनजर, उपर्युक्त गैर-अनुपालन, आरपीएस की गैर-जिम्मेदारी और आरपीएस लाइसेंस को समर्पित करने के आरपीएस के इरादे को ध्यान में रखते हुए, निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता, द्वारा मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 12 के प्रावधानों के तहत, भर्ती और नियुक्ति सेवा लाइसेंस धारक संख्या- आरपीएसएल-केओएल-162226 को तत्काल प्रभाव से **वापस** लिया जाता है । मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंधन निदेशक और इस कंपनी के सभी निदेशक, उन नाविकों के सभी लंबित बकाया के लिए ज़िम्मेदार बने रहेंगे, जिन्हें उन्होंने पहले ही भर्ती कर लिया है, जब तक कि वे भारत वापस नहीं आ जाते और उनकी सभी देनदारियाँ, अगर कोई हों, पूरी नहीं हो जातीं ।

18. मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर उनके द्वारा भर्ती किए गए नाविकों की पूरी जानकारी हार्ड और सॉफ्ट प्रति में इस कार्यालय में जमा करें ।

19. मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड को यह भी निदेश दिया गया है कि वे भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर भर्ती किए गए और तैनात किए गए सभी भारतीय नाविकों के सभी बकाया भुगतान यानी लेवी फीस, एसडब्ल्यूएफएस बकाया और एसपीएफओ बकाया का भुगतान करें और भुगतान का सबूत जल्द से जल्द इस कार्यालय में जमा करें ।

20. मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मेसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी की गई ₹10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये मात्र) की बैंक गारंटी, मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एमएस(आर एवं पीएस) नियम 2016 के मौजूदा नियमों की चूक/उल्लंघन की वजह किसी भी अचानक होने वाले मामले के लिए इस कार्यालय द्वारा अवलंब की जाती है ।

21. यदि मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड इस पारित आदेश से व्यथित है, तो वह इस आदेश की प्राप्ति के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 19(1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता को अपील कर सकते हैं । [यह ध्यातव्य है कि मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 19(1) के तहत उल्लिखित नियम 18 को दिनांक 15.02.2016 को राजपत्र अधिसूचना संख्या- जी.एस.आर. 169 (ई) में नियम 12 के रूप में पढ़ा जाना है] ।

22. इसे निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

प्रवीर कुमार विश्वास
सहायक निदेशक
कृते निदेशक

सेवा में,
मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड
121 ऑफिसर्स कॉलोनी, श्रीपल्ली, बर्धमान, बर्दवान, शहर- श्रीपल्ली,
जिला- बर्धमान, पश्चिम बंगाल- 713103.

प्रतिलिपि:

1. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई (क्रू शाखा/प्रशिक्षण शाखा) ।
2. प्रधान अधिकारी, एमएमडी, कोलकाता/चेन्नई/मुंबई/कोच्चि/कांडला ।
3. निदेशक, एसईओ, मुंबई/चेन्नई ।
4. नाविक पाल, सरकारी नौवहन कार्यालय, चेन्नई/मुंबई ।
5. डीडीजी (ई-गवर्नेंस), नौवहन महानिदेशालय, मुंबई - मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई ई-माइग्रेशन और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं को वापस लेने के अनुरोध के साथ ।
6. कंप्यूटर सेल, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि इसे डीजीएस वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए ।
7. श्री अभिषेक, निदेशक, मेसर्स ओएआरएस शिप्स प्राइवेट लिमिटेड, ललहेड़ी कलां, पोस्ट ऑफिस- ललहेड़ी कलां, जिला- यमुना नगर, हरियाणा

सत्यमेव जयते
भारत सरकार/Government of India
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
नौवहन महानिदेशालय/ Directorate General of Shipping
नाविक रोजगार कार्यालय/SEAMEN'S EMPLOYMENT OFFICE
"मरीन हाऊस", हेस्टिंग्स/"Marine House", Hastings,
कोलकाता/Kolkata- 700 022

टेलीफोन: (033) 2202 1818
ई-मेल: seo.kol-ship@gov.in
वेबसाईट: www.dgshipping.gov.in

Telephone: (033) 2202 1818
E-mail: seo.kol-ship@gov.in
website: www.dgshipping.gov.in

सं0/No :SEO-11/2/2024-SEO-KOLKATA दिनांक/Date : 22.05.2026

ORDER

Whereas M/s Oars Ships Pvt. Ltd. has been issued with RPS License bearing No. RPSL-KOL-162226 for the period 22.03.2024 to 22.03.2029 by the Director, Seamen's Employment Office, Kolkata under Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules' 2016.

2. Whereas, M/s Oars Ships Pvt. Ltd., RPSL-KOL-162226 has failed to comply the following provision of MS (RPS) Rules, 2016: -

a) As per sub clause (z) of clause 1 of subrule 5 of MS (RPS) Rules, 2016, QUOTE "ensure that it sends the reminder to the Director for its annual inspection, three months before its due date and be prepared for the same." UNQUOTE: -
b) As per the provision of Para 1.8 of DGS Crew Branch Circular 03 of 2016 read with MS Notice 06 of 2018, QUOTE :- "Annual Inspection shall be completed every year, during the period starting from two prior months after the anniversary date of issue of such license ". UNQUOTE:-

3. And whereas, this office has neither received the Due 1st and 2nd annual Inspection Report of RPS Agency through Recognized Organization after inspection nor received any intimation form RPS Agency for the same.

4. And, whereas, upon scrutiny, it is observed that RPSL profile details are not updated by the RPS Agency.

5. And whereas, neither change of Director nor updation of Form VI regarding details of management personnel has been complied till date even after reminder through email.

6. And whereas, a Show Cause Notice was issued by this office vide letter no. - SEO-11/2/2024-SEO-Kolkata dated 18.12.2025 and reply of RPS Agency vide email dated 18.01.2026 is not satisfactory. Hence, Personal Hearing in the matter was scheduled on 11.02.2026 at Seamen's Employment Office, Marine House, Hastings, Kolkata-22.

7. And whereas, the RPS agency, M/s. Oars Ships Private Limited did not attend the scheduled hearing on 11.02.2026. Instead, they submitted an email dated 11.02.2026 requesting rescheduling. Based on their request, the personal hearing was rescheduled to 17.03.2026. Despite this opportunity, the agency again failed to appear for the rescheduled hearing. Hence, RPS Agency is repeatedly failed to follow directives of the MS(RPS) Rule 2016.

8. And Whereas, a grievance regarding Shri Vaibhav, CDC No. MUM 571859, rank- OS on- board M.V. Farvar has been reported to this office by the sister of the seafarer through support DGS in Quick Response Group for non settlement of wages and repatriation, wherein it is stated that the vessel is currently operating in Iran region and requested to confirm the safety of the crew on- board. Upon scrutiny, it is noted that the vessel is not under the management of the RPS and the seafarer has been updated with MV Abdul violating DG Shipping extant directives. The matter stands unresolved till date even after multiple follow up by this office as well as the family member of the seafarer.

9. And whereas, this office had tried to communicate with RPS Agency, however the Mobile number (8537838232) of the Director, found in Profile was switched off. Further upon follow up, a new mobile number of Mr. Feroz found updated who upon telecon informed that he is a part time employee for email correspondence only and does not know anything about the management personnel. Present management personnel are neither updated in RPS profile nor submitted to this office even after reminder.

10. And whereas, it is learnt from sister of Mr. Vaibhav in WhatsApp group of Quick Response team, DGS that some agents or associated person of RPS Agency has requested the seafarer to provide the requisite documents of ship through Master/Owner for onward transmission to the RPS Agency. i.e. the RPS is not associated with the owner/employer.

11. And whereas, a Show Cause Notice was issued to M/s Oars Ships Pvt. Ltd vide SEO, Kolkata's letter no. SEO-11/2/2024-SEO-KOLKATA dated 20.03.2026. However, no reply is received till date from the RPS Agency.

Cont'd to Page 2...

12. And whereas, a Personal Hearing in the matter was scheduled on 22.04.2026 at Seamen's Employment Office, Marine House, Hastings, Kolkata-22. Wherein RPS Agency has not attended, instead they replied via email dated 21.04.2026 that they are unable to attend the scheduled hearing, as the required documents are still being compiled due to operational constraints related to the vessel. They are arranging crew repatriation and will proceed with surrendering their RPSL license upon completion.

13. And whereas, the online privilege of this RPS has been blocked w.e.f. 14.04.2026 to safe guard other seafarer from unethical business practices of the RPS and due to non compliance of guidelines of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016.

14. And whereas, it is also observed from RPSL Online profile that each section is not updated properly, which is under violation of DGS Circular 03 of 2023 dated 13.01.2023.

15. And whereas, the British High Commission, New Delhi has reported non genuine documents of RPS furnished by 02 in number seafarers wherein the RPS has denied issuance. However, not complied the filing of FIR with police authority in the matter till date.

16. And whereas, it is found that RPS Agency Oars Ships Pvt. Ltd is violating 5(b), 5(e), 5(f), 5(m), 5(n), 5(u), 5(v), 5(z), 9(2), and Declaration of Form V of MS(RPS) Rule 2016, as amended.

17. In view of above, considering above non compliances, unresponsiveness of RPS and intention of RPS for surrendering of RPS License, the Director Seamen's Employment Office, Kolkata under the provision of Rule 12 of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016 hereby **withdraw** the Recruitment and Placement Service Licence Bearing No. RPSL-KOL-162226 with immediate effect. M/s Oars Ships Pvt. Ltd and its Managing Director and all Directors of this company are continued to remain liable for all the pending dues to the seafarers who have already been recruited by them till their repatriation to India and clearance of all the liabilities, if any.

18. M/s Oars Ships Pvt. Ltd is hereby, directed, to submit complete details of the seafarer recruited by them as on date onboard Indian and foreign flag vessels in hard & Soft copy to this office within 15 days from the date of issue of this order.

19. M/s. Oars Ships Pvt. Ltd is also directed to make all the due payments i.e Levy fees, SWFS dues and SPFO dues in respect of all the Indian Seafarers recruited and placed onboard Indian and foreign flag vessels and furnish the proof of payments to this office as soon as possible.

20. The submitted Bank Guarantee amounting to Rs 10,00,000/- (INR Ten Lakh Only) issued by M/s ICICI Bank Limited of M/s Oars Ships Pvt. Ltd is hereby invoked by this office for any contingent issue due to default/violation of extant provisions of MS(R&PS) Rules 2016 by M/s Oars Ships Pvt. Ltd.

21. If, M/s Oars Ships Pvt. Ltd is aggrieved by this order passed, may within a period of thirty (30) days of receipt of this order, may appeal to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Kolkata being First Appellate Authority in accordance with Rules 19(1) of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016. [It may be noted that Rules 18 mentioned under Rules 19(1) of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016 is to be read as Rule 12 view typographical error in Gazette Notification No. G.S.R. 169 (E) dated 15.02.2016].

22. This issues with the approval of Director, Seamen's Employment Office, Kolkata.

Prabir Kumar Biswas
Asstt. Director
For Director

To
M/s Oars Ships Pvt. Ltd.
121 Officers Colony, Sripally,
Bardhaman, Burdwan,
City – Sripally, Dist.- Bardhaman,
West Bengal - 713103

Copy to:
1. The Directorate General of Shipping, Mumbai (Crew Branch/ Training Branch).
2. The Principal Officer, MMD, Kolkata/Chennai/Mumbai/ Kochi/Kandla.
3. The Director, SEO, Mumbai/Chennai.
4. The Shipping Master, Govt. Shipping Office, Chennai/Mumbai.
5. The DDG (E-Governance), DG Shipping, Mumbai - with a request to withdraw e-migration & other online facilities given M/s Oars Ships Pvt. Ltd.
6. Computer Cell, DG Shipping, Mumbai, with a request to publish the same on the DGS website.
7. Mr. ABHISHEK, Director, M/s Oars Ships Pvt. Ltd., LALHERI KALAN, PO-LALHERI KALAN, DIST -YAMUNA NAGAR, HARYANA.